न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 23/2021 जिला सीकर ।

1. रामकरणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी भावगढ तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
2. हरकेश पुत्र नत्थ्या बैरवा निवासी भावगढ तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
3. मूल्या पुत्र खारया जाति बैरवा निवासी निवासी भावगढ तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
4. चन्द्रभानसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी भावगढ. तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
5. मानसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी भावगढ तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामलाल पुत्र सांवला जाति मीना निवासी डैण्डा बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
2. धर्मी पुत्र सांवल जााति मीना निवासी डैण्डा बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 04.01.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 23/2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट एड. श्री आलोक चौधरी।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 की ओर से एड. श्री अरविन्द कुमार पारिक

निर्णय

दिनांक–26.07.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 04.01.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 15.07.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील रामलाल बनाम धर्मी में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2017 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सिकराय जिला दौसा को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2017 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 166/3 रकबा 09 बीघा 19 विस्वा भूमि को चिमन पुत्र कौशल्या ने राजस्व कर्मचारियो से सांठ गांठ करके लावारिस बंजड डौल की भूमि को दिनांक 14.04.1961 को गैर कानूनी तरीक से अपने नाम आवंटित करवा ली थी। जिसकी जानकारी ग्रामवासी तथा अपीलांट का नही हुयी। जबकि आवंटी चिमन मूलतः ग्राम भावगढ व डैण्डा बसेडी का रहने वाला नही है उसके बावजूद भी चिमन उक्त भूमि का गुपचुप तरीके से अपने नाम आवंटन करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर समस्त ग्रामवासी भावगढ के पशु अथवा मवेशी चरते आ रहे थे और तत्कालीन आवंटी चिमन ला औलाद फौत हुआ था तथा उसके कोई विधिक वारिश नही था क्योंकि चिमन का विवाह ही नही हुआ था

Scanned by CamScanner

तथा उसकी मृत्यु को भी करीब 40 साल हो गये। गैर कानूनी रूप से की गयी चिमन को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 166/3 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने आप को चिमन का गलत रूप से पुत्र बताकर दिनांक 05.02.1983 को अपने हक में नामान्तकरण संख्या 99 दर्ज करवा लिया था जिसको तहसीलदार सिकराय के द्वारा खारिज कर दिया गया था । रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा आदिनांक तक तहसीलदार सिकराय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.02.1983 नामान्तकरण संख्या 99 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील पेश नही की गई हैं। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने गलत तरीके से उक्त भूमि के वास्तविक तथ्यो को छिपाकर तथा रेस्पोडेंटस संख्या 02 जो कि रेस्पोर्डेट संख्या 01 का सगा भाई है को गलत रूप से तरतीबी पक्षकार बनाकर एक वाद संख्या 546/99 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष पेश किया गया था। जिसे दिनांक 11.7.2005 को स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 01 के हक में डिकी पारित की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय दिनांक 11.7.2005 को निरस्त कर दिया गया। अपीलांटस ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के विरूद्ध गैर कानूनी आवंटन दिनांक 14.04.1961 को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 215/2003 अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट फॉर एग्रीकल्चर परपज नियम 14(4) का पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2004 को स्वीकार करते हुये तत्कालीन आवंटी चिमन को हुये आवंटन को निरस्त कर दिया। उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी राज. सरकार है और रेस्पोडेंट संख्या01 ने वास्तविक तथ्यो को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय के मसक्ष अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2017 को पारित निर्णय विधि के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का कथन है कि अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी. सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांटस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2017 को निरस्त फरमाया ज़ावे।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 एवं 02 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थे तथा न ही वे अपीलाधीन आदेश से पीडित एवं प्रभावित है। ऐसी स्थिति में उन्हे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग चार वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 में विनम्ब के जो कारण उल्लेखित किये गये है वे काल्पनिक तथा अस्पष्ट है। अतः अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

7. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया गया कि वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 221 से संबंधित भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है तथा मंडल द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 166/3 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुये है। अपीलांट्स का कथन है कि इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये ही प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही है तथा बहाल रखे जाने योग्य हैं

8. उभयपक्ष की बहस पर मन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्वामी राज्य सरकार है तथा भूमि के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य राजस्व मंडल में अपील विचाराधीन है। प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि भूमि की किस्म चारागाह है जिसमें अपीलांट्स व अन्य ग्रामवासियो के पशु मवेशी चरते है जिसके कारण अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स स्वयं का कथन है कि भूमि राज्य सरकार की है तथा उसके संबंध में राजस्व मंडल में उभपक्षकारान के मध्य अपील विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय मंडल द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में समुचित निर्णय राज्य सरकार की सुनवाई उपरान्त पारित किया जा सकेगा। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मवेशी आदि चरा लिये जाने से भूमि में हित होना प्रथम दृष्टया स्वीकार नही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी में वर्णित तथा पर्याप्त एवं समुचित नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट्स स्वयं ने तहसीलदार से अपीलाधीन आदेश के बारे में पूछा है तब तहसीलदार ने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स का कथन है कि तब उन्हे इस आदेश की जानकारी हुई है। उक्त तथ्य अस्वीकार नही किया जा सकता है। विलम्ब का कोई स्पष्ट एवं पर्याप्त कारण परिलक्षित नही होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट्स भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मंडल में प्रकरण विचाराधीन होना कथन करते है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय पारित कर उल्लेख किया गया है कि "प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशक के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई का मौका दिया जाकर अपीलेट न्यायालय में प्रंकरण की वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।" इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई सारभूत त्रुटि होना दृष्टिगोचर नही होता है तथा बहाल रखे जाने योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन से अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नही होने, अपील मियाद बाधित होने तथा गुणावगुण रहित होने के आधार पर हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अतिःसम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अतिःसम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner